

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : मेडि-153/2017/3254

भोपाल, दिनांक 12-10-2017.
23-1-18

प्रति,

डॉ. राजकुमार पटेल
चिकित्सा अधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निगवानी
जिला अनूपपुर

विषय:- कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरुद्ध
विभागीय जांच - डॉ. राजकुमार पटेल , चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक
स्वास्थ्य केन्द्र, निगवानी, जिला अनूपपुर ।

-00-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के अन्तर्गत आपके विरुद्ध
अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप-पत्र
में दिया गया है । अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न
अभिकथन पत्र में दिया गया है । आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है ।
एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है ।


2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र के
मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए
बतायें कि :-

- (अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं ?
- (ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।
- (स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप-पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- आरोप-पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची।


(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,


मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि-154/2017/3254

दिनांक 12.10.2017
23-1-18

प्रतिलिपि:-

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/4342, दिनांक 23.06.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. राजकुमार पटेल को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चरपा कर तामिली करायें तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।


सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप-पत्र ::

डॉ. राजकुमार पटेल , चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निगवानी, जिला अनूपपुर के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :-

आरोप क्रमांक -1

यह कि आप डॉ. राजकुमार पटेल दिनांक 12.09.2015 से 01.07.2016 तक व 26.09.2016 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।


आरोप क्रमांक -2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं।

आरोप क्रमांक -3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।


(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. राजकुमार पटेल , चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निगवानी के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

आरोप क्रमांक 1 के लिये :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञाप/2017/4342, दिनांक 23.06.2017 अनुसार आप दिनांक 12.09.2015 से 01.07.2016 तक व 26.09.2016 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये हैं । आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप क्रमांक 2 के लिये :-

आपकी पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निगवानी में आम जनता को उचित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे , परन्तु आप दिनांक 12.09.2015 से 01.07.2016 तक व 26.09.2016 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप क्रमांक 3 के लिये :-

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते है।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।



(कवीन्द्र कियावत)


सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञापन/2017/4342, दिनांक 23.06.2017.



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

२८

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र क्रमांक दिनांक जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. राजकुमार पटेल, चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निगवानी, जिला अनूपपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगण:

1.
.....
..... (कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला
2.

तामीली प्रतिवेदन

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निगवानी, जिला अनूपपुर से लम्बी अवधि से
अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत सूचना पत्र क्रमांक
.....दिनांक.....

डॉ. राजकुमार पटेल , चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के
समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

-
1.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामीली की दशा में
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)
 2.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले
/चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)
 3.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर
 4.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर
 5.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर म.प्र.

क्रमांक/स्था० विज्ञ०/2017/4342

अनूपपुर, दिनांक 23-6-2017

प्रति,

आयुक्त, स्वास्थ्य,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्यप्रदेश
सतपुडा भवन भोपाल

विषय- डॉ० राजकुमार पटेल चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निगवानी जिला अनूपपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संबंध में प्रस्ताव।
संदर्भ- स्थानीय कार्यालय का पत्र क्रमांक/स्था.वि./2017/4095 दिनांक 13/06/2017 के संबंध में।

उपरोक्त विषय में अनुरोध है, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 23/07/2015 के द्वारा डॉ० राजकुमार पटेल की नियुक्ति अनूपपुर जिले के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फुनगा में की गयी थी, एवं मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01/09/2015 के द्वारा संशोधित पदस्थापना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर के अधीन किये जाने के उपरांत डॉ० राजकुमार पटेल को विकासखण्ड कोतमा में पदस्थ किया गया था। संबंधित चिकित्सक दिनांक 12/09/2015 से 01/07/2016 तक निरंतर अनुपस्थित रहे थे। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये भोपाल के उपरोक्त विषय में निवेदन है, कि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23/07/2015 के सरल क्रमांक 282 समसंख्यक पत्र दिनांक 03/08/2016 के द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निगवानी विकासखण्ड कोतमा में कार्यभार ग्रहण कराया गया था।

डॉ० राजकुमार पटेल चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निगवानी विकासखण्ड कोतमा दिनांक 26/09/2016 से लगातार बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित है। संबंधित चिकित्सक को स्थानीय कार्यालय के पत्र दिनांक 13/06/2017 को अनाधिकत अनुपस्थित रहने के संबंध सूचना दी गयी थी। लेकिन वह आज दिनांक तक स्थानीय कार्यालय/पदस्थापना स्थल में उपस्थित नहीं हुये है।

वर्तमान में नियमित स्थापना के अन्तर्गत पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन आई.एफ.एम.आई. एस पद्धति से जनरेट कर आहरित किया जा रहा है। जिसमें डॉ० राजकुमार पटेल का वेतन भी जनरेट हो रहा है। जिला कोषालय अधिकारी से संपर्क करने पर बताया गया है, कि जब तक संबंधित की सेवा समाप्त संबंधी कार्यवाही नहीं की जावेगी, तब तक उनका नाम का वेतन जनरेट होता रहेगा। ऐसी स्थिति में उनके साथ-साथ अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भी समय पर भुगतान करने में परेशानी आ रही है।

अत अनुरोध है, कि डॉ० राजकुमार पटेल के अनाधिकत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव आपकी ओर सादर प्रेषित है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

अनूपपुर, दिनांक 23/6/2017

क्रमांक/स्था./2017/4342-43

प्रतिलिपि- वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये भोपाल।
2. कलेक्टर जिला अनूपपुर।
3. बी.एम.ओ. विकासखण्ड कोतमा।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला अनूपपुर।
5. लेखापाल स्थानीय कार्यालय।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला- अनूपपुर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : मेडि-55/2017/3199

भोपाल, दिनांक 12.10.2017.
23-1-18

प्रति,

डॉ. मोहम्मद फरीद खान
चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय
जिला सतना

विषय:- कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरुद्ध
विभागीय जांच - डॉ. मोहम्मद फरीद खान, चिकित्सा अधिकारी, जिला
चिकित्सालय, जिला सतना ।

-00-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के अन्तर्गत आपके विरुद्ध
अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप-पत्र
में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित है, उसका विवरण संलग्न
अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है।
एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्या की गई है।


2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र के
मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए
बतायें कि :-

- (अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं ?
- (ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना
चाहते हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।
- (स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना
चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ
प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप-पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- आरोप-पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची।



(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि-156/2017/3144

दिनांक 12-10-2017
23-1-18

प्रतिलिपि:-

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञाप/2017/5689, दिनांक 16.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. मोहम्मद फरीद खान को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामिल करायें। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामिली करायें तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।


सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप-पत्र ::

डॉ. मोहम्मद फरीद खान, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला सतना के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :-

आरोप क्रमांक -1

यह कि आप डॉ. मोहम्मद फरीद खान दिनांक 17.04.1996 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप क्रमांक -2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं।

आरोप क्रमांक -3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. मोहम्मद फरीद खान, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

आरोप क्रमांक 1 के लिये :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञाप/2017/5689, दिनांक 16.08.2017 अनुसार आप दिनांक 17.04.1996 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये हैं। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप क्रमांक 2 के लिये :-

आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय में आम जनता को उचित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे, परन्तु आप दिनांक 17.04.1996 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप क्रमांक 3 के लिये :-

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञाप/2017/5689, दिनांक 16.08.2017.



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र क्रमांक दिनांक जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. मोहम्मद फरीद खान, चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय जिला चिकित्सालय, जिला सतना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगण:

1.
.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला

2.

तामीली प्रतिवेदन

जिला चिकित्सालय, जिला सतना से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत सूचना पत्र क्रमांक
.....दिनांक..... डॉ. मोहम्मद फरीद खान, चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

-
1.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामिली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)
 2.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामिली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)
 3.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर
 4.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर
 5.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना म0प्र0

कमांक/स्था.विज्ञप्त/17/5689

सतना,दिनांक 16.8.17

प्रति,

कवीन्द्र कियावत
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

244 लो.स्वा.प.के.
21.8.17


विषय :- लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपरिथत चिकित्सको की जानकारी भेजने वावत् ।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक/1815/सचिव/लोस्वापक/2017/भोपाल दिनांक 28.07.2017

000

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित हैं ।

संलग्न :- निर्धारित प्रपत्र 5 ज्ञा


(डा0डी0एन0गौतम)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सतना म0प्र0

3 माह से अनाधिकृत अनुपस्थित विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी

1. विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी का नाम - डा० मोहम्मद फरीद खान
2. पदनाम - मेडिकल ऑफिसर
3. अंतिम पदस्थापना जहाँ से अनुपस्थित - जिला चिकित्सालय सतना
हैं (पूर्ण विवरण के साथ)
4. नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ/आपात/
संविदा/एन.एच.एम.संविदा/म.प्र.लोक सेवा
आयोग द्वारा चयनित) - जिला सतना
लोक सेवा आयोग
5. नियुक्ति का दिनांक - 11-01-1989
6. शासकीय सेवा में ज्वाइनिंग की तिथि - 16-08-1989
7. स्थाईकरण का दिनांक -
8. वर्तमान में किस वेतनमान में हैं,
किस वेतनमान में कमोन्नत हुए
कनिष्ठ/वरिष्ठ/प्रवर/
वरिष्ठ प्रवर श्रेणी - कनिष्ठ
9. सेवा पुस्तिका के - ग्राम महिदेवा पोस्ट जवाहरनगर
अनुसार स्थाई पता - जिला सतना
10. वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो) -
11. कब से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित
हैं (स्वीकृत अवकाश के बाद/अवकाश का)
आवेदन देने के बाद से) - 17-04-1996
स्वीकृत आकरिमिक अवकाश
के बाद
12. इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक
कार्यवाही पूर्व से प्रचलित हो तो
उसका विवरण (संक्षेप में वर्तमान
स्थिति दर्शाते हुए) - अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संचालनालय
को अवगत कराया गया।
13. पूर्व में अनुशासनात्मक कार्यवाही
के अंतर्गत कोई दंड दिया गया
हो तो उसका विवरण -
14. अंतिम वेतन जब तक आहरित
किया गया है। अनाधिकृत
अनुपस्थित अधिकारी के दौरान
वर्तमान गतिविधि के संबंध
में विवरण (यदि ज्ञात हो) - 31-03-1996
पत्राचार किया गया कोई जवाब प्राप्त
नहीं हुआ

(Signature)

हस्ताक्षर Medical & Health Officer

मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधि./सिविल सर्जन सह मुख्य अस्व.अधीक्षक

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : मेडि-157/2017/3266

भोपाल, दिनांक 12-10-2017,
23-1-18

प्रति,

डॉ. कमलेश प्रसाद गुप्ता
चिकित्सा अधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समागंज, (सी.एच.सी., अमदरा)
जिला सतना

विषय:- कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरुद्ध
विभागीय जांच - डॉ. कमलेश प्रसाद गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक
स्वास्थ्य केन्द्र, समागंज, (सी.एच.सी., अमदरा), जिला सतना ।

-00-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के अन्तर्गत आपके विरुद्ध
अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप-पत्र
में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न
अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है।
एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है।


2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र के
मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए
बतायें कि :-

- (अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं ?
- (ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना
चाहते हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।
- (स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना
चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ
प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप-पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- आरोप-पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची।



(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि-158/2017/3260

दिनांक 12.10.2017
23-1-18

प्रतिलिपि:-

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञाप/2017/5689, दिनांक 16.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. कमलेश प्रसाद गुप्ता को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील कराये। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामिली कराये तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।


सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप-पत्र ::

डॉ. कमलेश प्रसाद गुप्ता , चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समागंज, (सी.एच.सी., अमदरा), जिला सतना के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :-

आरोप क्रमांक -1

यह कि आप डॉ. कमलेश प्रसाद गुप्ता दिनांक 07.03.2015 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप क्रमांक -2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं।

आरोप क्रमांक -3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. कमलेश प्रसाद गुप्ता , चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समागंज, (सी.एच.सी., अमदरा) के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

आरोप क्रमांक 1 के लिये :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/5689, दिनांक 16.08.2017 अनुसार आप दिनांक 07.03.2015 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये हैं । आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप क्रमांक 2 के लिये :-

आपकी पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समागंज, (सी.एच.सी., अमदरा) में आम जनता को उचित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे , परन्तु आप दिनांक 07.03.2015 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप क्रमांक 3 के लिये :-

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त / 2017 / 5689, दिनांक 16.08.2017.



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र क्रमांक दिनांक जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. कमलेश प्रसाद गुप्ता , चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समागंज, (सी.एच.सी., अमदरा), जिला सतना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगणः

1.
.....
..... (कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला
2.

तामीली प्रतिवेदन

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समागंज, (सी.एच.सी., अमदरा), जिला सतना से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत सूचना पत्र क्रमांक दिनांक.....

..... डॉ. कमलेश प्रसाद गुप्ता , चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

1.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)
2.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)
3.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर
4.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर
5.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना म0प्र0

क्रमांक/स्था.विज्ञाप/17/ 5689

सतना,दिनांक 16.8.17

प्रति,

कवीन्द्र कियावत
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

244
21.8.17


विषय :- लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सको की जानकारी भेजने वावत् ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/1815/सचिव/लोस्वापक/2017/भोपाल दिनांक 28.07.2017

000

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित हैं ।

संलग्न :- निर्धारित प्रपत्र 5 नम



(डा0डी0एन0गौतम)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सतना म0प्र0

3 माह से अनाधिकृत अनुपस्थित विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी

1. विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी का नाम - डॉ. कमलेश पुनद गुप्ता
2. पदनाम - चिकित्सा अधिकारी
3. अंतिम पदस्थापना जहाँ से अनुपस्थित हैं (पूर्ण विवरण के साथ) - प्रा.स्वास्व.केन्द्र सभागंज C.H.C. भमदरा
जिला सतना
4. नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ/आपात/संविदा/एन.एच.एम.संविदा/म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित) - म.प्र.लोक सेवा आयोग
5. नियुक्ति का दिनांक - 12-01-2006
6. शासकीय सेवा में ज्वाइनिंग की तिथि - 25-05-2006
7. स्थाईकरण का दिनांक - 25-05-2006
8. वर्तमान में किस वेतनमान में हैं, किस वेतनमान में कमोन्नत हुए कनिष्ठ/वरिष्ठ/प्रवर/वरिष्ठ प्रवर श्रेणी - 15600-39100+6600
वरिष्ठ
9. सेवा पुस्तिका के अनुसार स्थाई पता - पन्ना रोड-कुठवा कटनी (म.प्र.)
10. वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो)
11. कब से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं (स्वीकृत अवकाश के बाद/अवकाश का आवेदन देने के बाद से) - 07-03-2015
सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत किया (V.R.S.)
12. इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्व से प्रचलित हो तो उसका विवरण (संक्षेप में वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए) - त्याग पत्र संचालनालय भेजा गया
13. पूर्व में अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत कोई दंड दिया गया हो तो उसका विवरण
14. अंतिम वेतन जब तक आहरित किया गया है। अनाधिकृत अनुपस्थित अधिकारी के दौरान वर्तमान गतिविधि के संबंध में विवरण (यदि ज्ञात हो) - 07-03-2015

[Signature]
Chief Medical & Health Officer

हस्ता 0 Distt. Satna (M.P.)

मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधि./सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : मेडि-163/2017/3256

भोपाल, दिनांक ~~12-10-2017~~
23-1-18

प्रति,

डॉ. संतोष कुमार तोमर
सहायक शल्य चिकित्सक
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरइया, (सी.एच.सी., रामपुर बघेलान)
जिला सतना

विषय:- कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरुद्ध
विभागीय जांच - डॉ. संतोष कुमार तोमर, सहायक शल्य चिकित्सक,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरइया, (सी.एच.सी., रामपुर बघेलान), जिला
सतना ।

-00-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के अन्तर्गत आपके विरुद्ध
अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप-पत्र
में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न
अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है।
एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है।


2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र के
मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए
बतायें कि :-

- (अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं ?
- (ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना
चाहते हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।
- (स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना
चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ
प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप-पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- आरोप-पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।



(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि-164/2017/3256

दिनांक 12.10.2017
23-1-18

प्रतिलिपि:-

- (1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/5689, दिनांक 16.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. संतोष कुमार तोमर को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामिल करायें । यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामिली करायें तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।


सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप-पत्र ::

डॉ. संतोष कुमार तोमर, सहायक शल्य चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरङ्गा, (सी.एच.सी., रामपुर बघेलान), जिला सतना के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :-

आरोप क्रमांक -1

यह कि आप डॉ. संतोष कुमार तोमर दिनांक 01.09.2013 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।


आरोप क्रमांक -2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं।

आरोप क्रमांक -3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. संतोष कुमार तोमर, सहायक शल्य चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरइया, (सी.एच.सी., रामपुर बघेलान) के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

आरोप क्रमांक 1 के लिये :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञापित/2017/5689, दिनांक 16.08.2017 अनुसार आप दिनांक 01.09.2013 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये हैं। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप क्रमांक 2 के लिये :-

आपकी पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरइया, (सी.एच.सी., रामपुर बघेलान) में आम जनता को उचित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे, परन्तु आप दिनांक 01.09.2013 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप क्रमांक 3 के लिये :-

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/5689, दिनांक 16.08.2017.



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र क्रमांक दिनांक जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. संतोष कुमार तोमर, सहायक शल्य चिकित्सक को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरइया, (सी.एच.सी., रामपुर बघेलान), जिला सतना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगण:

1.

.....

.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला

2.

तामीली प्रतिवेदन

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरइया, (सी.एच.सी., रामपुर बघेलान), जिला
सतना से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत सूचना पत्र
क्रमांक
.....दिनांक..... डॉ. संतोष कुमार तोमर, सहायक शल्य चिकित्सक के
अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा
किया गया ।

-
1.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामीली की दशा में
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)
 2.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले
/चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)
 3.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर
 4.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर
 5.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

20 Covering

10



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना म0प्र0
क्रमांक/स्था.विज्ञप्त/17/5689

सतना,दिनांक 16.8.17

प्रति,

Handwritten signature/initials

कवीन्द्र कियावत
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

244
21.8.17

विषय :- लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपरिथत चिकित्सको की जानकारी भेजने वावत् ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/1815/सचिव/लोस्वापक/2017/भोपाल दिनांक 28.07.2017

000

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित हैं ।

संलग्न :- निर्धारित प्रपत्र 5 नमू


Handwritten signature

(डा0डी0एन0गौतम)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सतना म0प्र0

3 माह से अनाधिकृत अनुपस्थित विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी

1. विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी का नाम डा. संतोष कुमार तोमर
2. पदनाम सहायक राज्य चिकित्सक
3. अंतिम पदस्थापना जहाँ से अनुपस्थित प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र गोरिया C.H.C.
हैं (पूर्ण विवरण के साथ) झापुर बघेलान जिला खतना
4. नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ/आपात/
संविदा/एन.एच.एम.संविदा/म.प्र.लोक सेवा
आयोग द्वारा चयनित) संविदा नियुक्ति का नियमितीकरण
5. नियुक्ति का दिनांक 2-9-2006
6. शासकीय सेवा में ज्वाइनिंग की तिथि 07-09-2006
7. स्थाईकरण का दिनांक 07-09-2009
8. वर्तमान में किस वेतनमान में हैं, 15600-33100+5400
किस वेतनमान में कमोन्नत हुए कनिष्ठ
कनिष्ठ/वरिष्ठ/प्रवर/
वरिष्ठ प्रवर श्रेणी
9. सेवा पुस्तिका के - इम-83 न्यू हाउसिंग बोर्ड कलेजी सुरेवा
अनुसार स्थाई पता जिला सुरेवा (म.प्र.)
10. वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो)
11. कब से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित
हैं (स्वीकृत अवकाश के बाद/अवकाश का)
आवेदन देने के बाद से) 01-09-2013
बिना पूर्व सूचना के
12. इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक
कार्यवाही पूर्व से प्रचलित हो तो अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु 11-8-16 के
उसका विवरण (संक्षेप में वर्तमान द्वारा वस्तु स्थिति से संचालनालय को अवगत
स्थिति दर्शाते हुए) कराया गया था।
13. पूर्व में अनुशासनात्मक कार्यवाही
के अंतर्गत कोई दंड दिया गया
हो तो उसका विवरण
14. अंतिम वेतन जब तक आहरित
किया गया है। अनाधिकृत 31-8-2013
अनुपस्थित अधिकारी के दौरान
वर्तमान गतिविधि के संबंध
में विवरण (यदि ज्ञात हो)



Chief Medical & Health Officer

हस्ता 0

Distt. Satna (M.P.)

मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधि./सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : मेडि-161/2017/3261

भोपाल, दिनांक 12-10-2017.
23-1-18

प्रति,

डॉ. सोमनाथ चौरसिया
सहायक शल्य चिकित्सक
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पगारखुर्द, (सी.एच.सी., मझगवां)
जिला सतना

विषय:- कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरुद्ध
विभागीय जांच - डॉ. सोमनाथ चौरसिया, सहायक शल्य चिकित्सक,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पगारखुर्द, (सी.एच.सी., मझगवां), जिला सतना ।

-00-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के अन्तर्गत आपके विरुद्ध
अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप-पत्र
में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित है, उसका विवरण संलग्न
अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है।
एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है।


2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र के
मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए
बतायें कि :-

- (अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं ?
- (ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना
चाहते हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।
- (स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना
चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ
प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप-पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- आरोप-पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची।



(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि-162/2017/3261

दिनांक 12.10.2017
23-1-18

प्रतिलिपि:-

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/5689, दिनांक 16.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. सोमनाथ चौरसिया को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील कराये। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामिली कराये तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।


सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप-पत्र ::

डॉ. सोमनाथ चौरसिया , सहायक शल्य चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पगारखुर्द, (सी.एच.सी., मझगवां), जिला सतना के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :-

आरोप क्रमांक -1

यह कि आप डॉ. सोमनाथ चौरसिया दिनांक 21.07.2014 बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप क्रमांक -2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं।

आरोप क्रमांक -3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. सोमनाथ चौरसिया , सहायक शल्य चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पगारखुर्द, (सी.एच.सी., मझगवां) के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

आरोप क्रमांक 1 के लिये :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/5689, दिनांक 16.08.2017 अनुसार आप दिनांक 21.07.2014 बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये हैं । आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप क्रमांक 2 के लिये :-

आपकी पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पगारखुर्द, (सी.एच.सी., मझगवां) में आम जनता को उचित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे , परन्तु आप दिनांक 21.07.2014 अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप क्रमांक 3 के लिये :-

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते है।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/5689, दिनांक 16.08.2017.



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र क्रमांक दिनांक जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. सोमनाथ चौरसिया , सहायक शल्य चिकित्सक को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पगारखुर्द, (सी.एच.सी., मझगवां), जिला सतना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगण:

1.
.....

.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला

2.

तामीली प्रतिवेदन

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पगारखुर्द, (सी.एच.सी., मझगवां), जिला सतना से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत सूचना पत्र क्रमांक दिनांक.....

..... डॉ. सोमनाथ चौरसिया , सहायक शल्य चिकित्सक के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।


-
1.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)
 2.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)
 3.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर
 4.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर
 5.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

.....
(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

3 माह से अनाधिकृत अनुपस्थित विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी

1. विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी का नाम डा० सीमना क चौधरी
2. पदनाम सहायक प्रमुख चिकित्सक
3. अंतिम पदस्थापना जहाँ से अनुपस्थित डा० स्वा. केन्द्र पण्डित इन्दु देव C.M.C. मझगाँव
हैं (पूर्ण विवरण के साथ)
4. नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ/आपात/सिवा सतना
संविदा/एन.एच.एम.संविदा/म.प्र.लोक सेवा संविदा नियुक्ति पर नियमितकरण
आयोग द्वारा चयनित)
5. नियुक्ति का दिनांक १-१०-२००३ (संविदा)
6. शासकीय सेवा में ज्वाइनिंग की तिथि ०९-१०-२००३
7. स्थाईकरण का दिनांक १५-०४-२००९
8. वर्तमान में किस वेतनमान में हैं, १५६००-३९१००+५५००
किस वेतनमान में कमोन्नत हुए
कनिष्ठ/वरिष्ठ/प्रवर/कनिष्ठ
वरिष्ठ प्रवर श्रेणी
9. सेवा पुस्तिका के १५९ रत्नोवनाग बिलासपुर कलपुर (म.प्र.)
अनुसार स्थाई पता (उ.प्र.)
10. वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो)
11. कब से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित २१-०७-२०१५
हैं (स्वीकृत अवकाश के बाद/अवकाश का) बिना पूर्व सूचना के
आवेदन देने के बाद से)
12. इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु १७-८-२०१६
कार्यवाही पूर्व से प्रचलित हो तो के द्वारा वस्तु स्थिति से अनुशासनात्मक
उसका विवरण (संक्षेप में वर्तमान अवकाश कराया गया था।
स्थिति दर्शाते हुए)
13. पूर्व में अनुशासनात्मक कार्यवाही
के अंतर्गत कोई दंड दिया गया
हो तो उसका विवरण
14. अंतिम वेतन जब तक आहरित २१-०७-२०१५
किया गया है। अनाधिकृत
अनुपस्थित अधिकारी के दौरान
वर्तमान गतिविधि के संबंध
में विवरण (यदि ज्ञात हो)



Chief Medical & Health Officer

हस्ता

Distt. Satna (M.P.)

मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधि./सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : मेडि-159/2017/3255

भोपाल, दिनांक 12.10.2017.
28-1-18

प्रति,

डॉ. राजेश गुप्ता
चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुन्दपुर
जिला सतना

विषय:- कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरुद्ध
विभागीय जांच - डॉ. राजेश गुप्ता , चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुन्दपुर , जिला सतना ।

-00-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के अन्तर्गत आपके विरुद्ध
अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप-पत्र
में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित है, उसका विवरण संलग्न
अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न है।
एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है।


2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र के
मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए
बतायें कि :-

- (अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं ?
- (ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना
चाहते हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।
- (स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना
चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ
प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप-पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- आरोप-पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची।



(कवीन्द्र कियावत)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृष्ठा. क्र. : मेडि-160/2017/3255

दिनांक 12.10.2017
23-1-18

प्रतिलिपि:-

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना की ओर उनके पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/5689, दिनांक 16.08.2017 के अनुपालन में प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. राजेश गुप्ता को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामिली करायें तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।


सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप-पत्र ::

डॉ. राजेश गुप्ता , चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुन्दपुर , जिला सतना के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :-

आरोप क्रमांक -1

यह कि आप डॉ. राजेश गुप्ता दिनांक 14.11.2011 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप क्रमांक -2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते है।

आरोप क्रमांक -3

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते है।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. राजेश गुप्ता , चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुन्दपुर के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

आरोप क्रमांक 1 के लिये :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना के पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/5689, दिनांक 16.08.2017 अनुसार आप दिनांक 14.11.2011 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये हैं । आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप क्रमांक 2 के लिये :-

आपकी पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुन्दपुर में आम जनता को उचित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे , परन्तु आप दिनांक 14.11.2011 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप क्रमांक 3 के लिये :-

यह कि आप अपने नियत मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ट एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

: अभिलेखों की सूची ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना का पत्र क्रमांक स्थापना विज्ञप्त/2017/5689, दिनांक 16.08.2017.



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र क्रमांक दिनांक जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. राजेश गुप्ता , चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुन्दपुर , जिला सतना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगण:

1.
.....
..... (कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)
जिला
2.

तामीली प्रतिवेदन

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुन्दपुर, जिला सतना से लम्बी अवधि से
अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत सूचना पत्र क्रमांक
.....दिनांक.....

डॉ. राजेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष
तामील करवाया गया / मकान पर चस्पा किया गया ।

-
1.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामीली की दशा में
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)
 2.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले
/ चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)
 3.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर
 4.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर
 5.
गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित
.....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)

20 (2017) Governing

10

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना म0प्र0
कमांक/स्था.विज्ञप्त/17/5689

सतना,दिनांक 16.8.17

प्रति,

Handwritten signature/initials

कवीन्द्र कियावत
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

244
21.8.17

विषय :- लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपरिथत चिकित्सको की जानकारी भेजने वावत् ।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक/1815/संचिव/लोस्वापक/2017/भोपाल दिनांक 28.07.2017

000

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित हैं ।

संलग्न :- निर्धारित प्रपत्र 5 नमू

Handwritten signature

(डा0डी0रन0गौतम)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सतना म0प्र0

3 माह से अनाधिकृत अनुपस्थित विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों की जानकारी

1. विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी का नाम - डा. राजेश गुप्ता
2. पदनाम - मेडिकल ऑफीसर
3. अंतिम पदस्थापना जहाँ से अनुपस्थित हैं (पूर्ण विवरण के साथ) - सामु. स्वास्थ्य केन्द्र मुकुन्दपुर
4. नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ/आपात/संविदा/एन.एच.एम.संविदा/म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित) - जिला - सतना
संविदा नियुक्ति पर निपमितिकरण
5. नियुक्ति का दिनांक : 11.11.1999
6. शासकीय सेवा में ज्वाइनिंग की तिथि : 19.11.1999
7. स्थाईकरण का दिनांक : 31.12.2005
8. वर्तमान में किस वेतनमान में हैं, किस वेतनमान में कमोन्नत हुए कनिष्ठ/वरिष्ठ/प्रवर/वरिष्ठ प्रवर श्रेणी : 15600-33100+5400
कनिष्ठ
9. सेवा पुस्तिका के अनुसार स्थाई पता - फ्लैट नं. 4 साईं आर्ट कैवट कम्प्लेक्स
इवालिटर (म.प्र.)
10. वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो) सहायक प्राध्यापक विश्व रोग विभाग आर.डी. गार्डी
11. कब से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं (स्वीकृत अवकाश के बाद/अवकाश का आवेदन देने के बाद से) चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
15-11-2011 से त्यागपत्र प्रस्तुत किया (V.R.S) अनुपस्थित
12. इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्व से प्रचलित हो तो उसका विवरण (संक्षेप में वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए) त्यागपत्र संचलनालय भेजा गया
13. पूर्व में अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत कोई दंड दिया गया हो तो उसका विवरण
14. अंतिम वेतन जब तक आहरित किया गया है। अनाधिकृत अनुपस्थित अधिकारी के दौरान वर्तमान गतिविधि के संबंध में विवरण (यदि ज्ञात हो) पत्रचार किया गया कोई जताब प्राप्त नहीं हुआ

(Signature)

Chief Medical & Health Officer

हस्ता

Distt. Satna (M.P.)

मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधि./सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक